राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ. 55( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2018 87550   दिनांकः 28/12/18

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
चिड़ावा (झुन्झूनू)

विषयः– नगर पालिका चिड़ावा के दिनांक 06.02.2017 को डाले जाने वाले टेन्डरों की जांच बाबत्।

प्रसगः– निदेशालय के पत्र क्रमांकः एफ.55( )इंजि. / सीई / डीएलबी / 18 / 79875–881 दिनांक 18.10.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्र क्रमांक 83844 दिनांक 28.11.2018 के द्वारा जांच हेतु रिकॉर्ड मांगा गया था। यह कि आपके द्वारा आधा अधूरा रिकॉर्ड, अव्यवस्थित तरीके से भिजवाया गया है। यह कि उक्त के अलावा निम्न रिकॉर्ड की भी जांच हेतु आवश्यकता है।

1. दिनांक 06.02.2017 के टेन्डरों में उसी दिन दिनांक 06.02.2017 को नगर पालिका में की गई शिकायत की प्रति।
2. यह कि शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उस समय नगर पालिका कार्यालय परिसर मे सी.सी. टीवी कैमरे लगे हुए थे जो बाद में पालिका द्वारा हटा लिये गये। इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश करें।
3. दिनांक 06.02.2017 को क्या तत्काल अधिशाषी अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता श्रीमति सरोज भाटिया, कार्यालय समय में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित थी अथवा नहीं ? इस संदर्भ में रिपोर्ट पेश करें।
4. तहसीलदार चिड़ावा द्वारा भेजे गये पत्र क्रमांक 58 दिनांक 06.02.2017 एवं उसके साथ संलग्न शिकायत पर नगर पालिका द्वारा क्या कार्यवाही की गई।
5. नगर पालिका के टेन्डर ओपनिंग रजिस्टर वर्ष 2016–17 की प्रति।
6. दिनांक 06.02.2017 को प्राप्त 26 कार्यो के टेन्डर में किस–किस संवेदक द्वारा किस–किस कार्य के टेन्डर लिए गये एवं टेन्डर खोलते वक्त किस–किस संवेदक के टेन्डर प्राप्त हुए, इनकी सूची उपलब्ध करावें।

7. श्रीमति सरिता, पार्षद वार्ड नं. 17, श्रीमति मधु शर्मा, पार्षद वार्ड नं. 18 एवं श्रीमति चन्द्रमणि देवी, पार्षद वार्ड नं. 15 द्वारा इस संबंध में दिनांक 17.02.2017 को की गई शिकायत की प्रति एवं नगर पालिका द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति।
8. अधिशाषी अधिकारी द्वारा पत्र कमांक 2078 दिनांक 23.02.2017 पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करें।
9. तहसीलदार चिड़ावा द्वारा अधिशाषी अधिकारी को जारी पत्र कमांक पाठक/2017/95 दिनांक 02.05.2017 की प्रति एवं की गई कार्यवाही की प्रति।
10. वर्ष 2017–18 का कार्य आदेश रजिस्टर जिससे वर्क ऑर्डर डिस्पेंच कर जारी किये उनकी प्रमाणित प्रति।
11. शिकायत से संबंधित समस्त मूल पत्रावली एवं दस्तावेज लेकर आवें ताकि जो रिकॉर्ड आप द्वारा अव्यवस्थित तरीके से दिया है मुल पत्रावलियों से मिलान कर सही किया जा सकें।
12. निविदा दिनांक 06.02.2017 में वर्णित कार्यो की Measurment books एवं भुगतान संबंधी समस्त दस्तावेज।
13. श्रीमति सरोज भाटिया (वर्तमान में नगर पालिका सुरजगढ़ में कार्यरत), ने अपना चार्ज श्री रमेश कुमार चौधरी को दिया, उस चार्ज रिपोर्ट की प्रति।
14. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चिड़ावा के पत्र क्रमांक 251–253 दिनांक 03.05.2017 एवं उक्त के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजों की प्रति।
15. यह कि वर्ष 2017–18 में नगर पालिका चिड़ावा में सहायक अभियन्ता के पद पर किसके द्वारा कार्य देखा जा रहा था, आदेशों की प्रति देवें।
16. अधिशाषी अधिकारी सुश्री सरिता बडेसरा द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.12.2017, अध्यक्ष नगर पालिका, श्री अमित कुमार महमिंया (कनिष्ठ लिपिक), श्रीमति सरोज भाटिया (कनिष्ठ अभियन्ता), श्री रमेश चौधरी (कनिष्ठ अभियन्ता), को दिये गये पत्रों की प्रति एवं इनके द्वारा प्राप्त जवाब की प्रति, एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा पुनः स्मरण पत्र दिनांक 31.01.2018 अध्यक्ष नगर पालिका, श्रीमति सरोज भाटिया एवं श्री अमित कुमार महमिंया को दिया गया, उसकी प्रति एवं प्राप्त जवाब की प्रति।
17. अधिशाषी अधिकारी के पत्र कमांक 2753–2758 दिनांक 21.02.2018 की प्रति एवं जिन्हें जारी किया गया उनसे प्राप्त उत्तर की प्रति।
18. अधिशाषी अधिकारी के पत्र कमांक 2318 दिनांक 12.03.2018 की प्रमाणित प्रति।

19. अधिशाषी अधिकारी का चार्ज श्रीमति सरोज भाटिया (कनिष्ठ अभियन्ता) के पास कब–कब रहा, आदेशों की प्रति।

यह की उक्त अनुसार अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चिड़ावा को पत्र भेजकर आदेशित किया जाता है कि वह 15 दिवस के अन्दर चाही गई सुचना संबंधित अभियन्ता के साथ निदेशालय के मुख्य अभियन्ता कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

क्रमांक : एफ.55( )अभि. / सीई / डीएलबी / 2018 / 87551-55480 दिनांक : 28/12/18
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, निदेशालय जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता, पुरूषोत्तम जेसवानी, निदेशालय जयपुर।
3. प्रोग्रामर निदेशालय को भेजकर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
4. सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता